

2-1



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 37]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 18, 2002/पौष 28, 1923

No. 37]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 18, 2002/PAUSA 28, 1923

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

आदेश

आदेश

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 2002

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 2002

सा.का.नि. 41(अ).—केन्द्रीय सरकार, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश, 2000 के खंड 13 के अनुसरण में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा स्थापित अपमिश्रणरोधी कक्ष के संयुक्त निदेशकों को उक्त आदेश के अधीन तलाशी और अभिग्रहण की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

सा.का.नि. 42(अ).—केन्द्रीय सरकार, किरोसिन (उपयोग पर निर्बन्धन और अधिकतम कीमत नियतन) आदेश, 1993 के खंड 9 के अनुसरण में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा स्थापित अपमिश्रणरोधी कक्ष के संयुक्त निदेशकों को उक्त आदेश के अधीन तलाशी और अभिग्रहण की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

[फा. सं. पी-11013/3/2001-वितरण]

[फा. सं. पी.-11013/3/2001-वितरण]

एस. विजयराघवन, संयुक्त सचिव

एस. विजयराघवन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

ORDER

ORDER

New Delhi, the 17th January, 2002

New Delhi, the 17th January, 2002

G.S.R. 41(E).—In pursuance of clause 13 of the Liquefied Petroleum Gas (Regulation of Supply and Distribution) Order, 2000, the Central Government hereby authorises the Joint Directors of the Anti Adulteration Cell established by the Ministry of Petroleum and Natural Gas, as the authority to exercise the powers of search and seizure under the said Order.

G.S.R. 42(E).—In pursuance of clause 9 of the Kerosene (Restriction on Use and Fixation of Ceiling Price) Order, 1993, the Central Government hereby authorises the Joint Directors of the Anti Adulteration Cell established by the Ministry of Petroleum and Natural Gas, as the authority to exercise the powers of search and seizure under the said Order.

[F. No. P-11013/3/2001-Dist.]

[F. No. P-11013/3/2001-Dist.]

S. VIJAYARAGHAVAN, Jt. Secy.

S. VIJAYARAGHAVAN, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 2002

सा.का.नि. 43(अ).—केन्द्रीय सरकार, विलायक, रिफिनेट और स्लाप (अर्जन, विक्रय, भंडारण और आटोमोबाइल में उपयोग का निवारण) आदेश, 2000 के खंड 4 के अनुसरण में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा स्थापित अपमिश्रणरोधी कक्ष के संयुक्त निदेशकों को उक्त आदेश के अधीन तलाशी और अभिग्रहण की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

[फा. सं. पी.-11013/3/2001-वितरण]

एस. विजयराघवन, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi, the 17th January, 2002

G.S.R. 43(E).—In pursuance of clause 4 of the Solvent. Raffinate and Slop (Acquisition. Sale, Storage and Prevention of Use in Automobiles) Order, 2000, the Central Government hereby authorises the Joint Directors of the Anti Adulteration Cell established by the Ministry of Petroleum and Natural Gas, as the authority to exercise the powers of search and seizure under the said Order.

[F. No. P-11013/3/2001-Dist.]

S. VIJAYARAGHAVAN, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 2002

सा.का.नि. 44(अ).—केन्द्रीय सरकार, नाफ्था (अर्जन, बिक्री, भंडारण और आटोमोबाइल में उपयोग का निवारण) आदेश, 2000 के खंड 4 के अनुसरण में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा स्थापित अपमिश्रणरोधी कक्ष के संयुक्त निदेशकों को उक्त आदेश के अधीन तलाशी और अभिग्रहण की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

[फा. सं. पी.-11013/3/2001-वितरण]

एस. विजयराघवन, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi, the 17th January, 2002

G.S.R. 44(E).—In pursuance of clause 4 of the Naphtha (Acquisition. Sale, Storage and Prevention of Use in Automobiles) Order, 2000, the Central Government hereby authorises the Joint Directors of the Anti Adulteration Cell established by the Ministry of Petroleum and Natural Gas, as the authority to exercise the powers of search and seizure under the said Order.

[F. No. P-11013/3/2001-Dist.]

S. VIJAYARAGHAVAN, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 2002

सा.का.नि. 45(अ).—केन्द्रीय सरकार, स्नेहक तेल और ग्रीस (प्रसंस्करण, प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश, 1987 के खंड 8 के अनुसरण में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा स्थापित अपमिश्रणरोधी कक्ष के संयुक्त निदेशकों को उक्त आदेश के अधीन तलाशी और अभिग्रहण की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

[फा. सं. पी.-11013/3/2001-वितरण]

एस. विजयराघवन, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi, the 17th January, 2002

G.S.R. 45(E).—In pursuance of clause 8 of the Lubricating Oils and Greases (Processing, Supply and Distribution Regulation) Order, 1987, the Central Government hereby authorises the Joint Directors of the Anti Adulteration Cell established by the Ministry of Petroleum and Natural Gas, as the authority to exercise the powers of search and seizure under the said Order.

[F. No. P-11013/3/2001-Dist.]

S. VIJAYARAGHAVAN, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 2002

सा.का.नि. 46(अ).—केन्द्रीय सरकार, मोटर स्पिरिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश, 1998 के खंड 4 के अनुसरण में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा स्थापित अपमिश्रणरोधी कक्ष के संयुक्त निदेशकों को उक्त आदेश के अधीन तलाशी और अभिग्रहण की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

[फा. सं. पी.-11013/3/2001-वितरण]

एस. विजयराघवन, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi, the 17th January, 2002

G.S.R. 46(E).—In pursuance of clause 4 of the Motor Spirit and High Speed Diesel (Regulation of Supply and Distribution and Prevention of Malpractices) Order, 1998, the Central Government hereby authorises the Joint Directors of the Anti Adulteration Cell established by the Ministry of Petroleum and Natural Gas, as the authority to exercise the powers of search and seizure under the said Order.

[F. No. P-11013/3/2001-Dist.]

S. VIJAYARAGHAVAN, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 2002

सा.का.नि. 47(अ).—केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम उत्पाद (उत्पादन, भंडारण और प्रदाय का रख-रखाव) आदेश, 1999 के खंड 9 के अनुसरण में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा स्थापित अपमिश्रणरोधी कक्ष के संयुक्त निदेशकों को उक्त आदेश के अधीन तलाशी और अभिग्रहण की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

[फा. सं. पी.-11013/3/2001-वितरण]

एस. विजयराघवन, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi, the 17th January, 2002

G.S.R. 47(E).—In pursuance of clause 9 of the Petroleum Products (Maintenance of Production, Storage and Supply) Order, 1993, the Central Government hereby authorises the Joint Directors of the Anti Adulteration Cell established by the Ministry of Petroleum and Natural Gas, as the authority to exercise the powers of search and seizure under the said Order.

[F. No. P-11013/3/2001-Dist.]

S. VIJAYARAGHAVAN, Jt. Secy.